छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 463/2006</u>

श्री केदारनाथ शर्मा,
अस्पताल दफाई, हल्दी बाड़ी,
पोस्ट–हल्दी बाड़ी,
जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
बैकुण्ठपुर,
जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 03 फरवरी 2007)

श्री केदारनाथ शर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपील आवेदन में अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया से ग्राम–चित्ताझोरपोड़ी के सर्वे नंबर–89/15, रकबा 0.052 हैक्टेयर के संबंध में भूमि के स्वरुप की जानकारी चाही गई थी, साथ ही उस भूमि पर किसका कब्जा है एवं निर्माण कार्य के लिए क्या अनुमति दी गई आदि की जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा 300/– रुपए अभिलेख शुल्क की मांग करने पर अपीलार्थी ने उक्त शुल्क जमा कराया। तहसीलदार, बैकुण्ठपुर के द्वारा अपीलार्थी को 3 पृष्ठों में जानकारी दी गई। जानकारी संतोषजनक न होने से अपीलार्थी ने कलेक्टर, कोरिया को अपील प्रस्तुत की। अपील में निर्धारित अवधि में आदेश न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की गई। आयोग के द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैकुण्ठपुर से अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी की सुनवाई की गई। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह था कि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा है तथा उसे सही जानकारी नहीं दी गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के द्वारा बतलाया गया कि रिकार्ड के आधार पर अपीलार्थी को जानकारी दी गई है। स्थल पर जाँच कर पुनः अपीलार्थी को जानकारी दे दी जावेगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बैकुण्ठपुर के द्वारा आयोग को पत्र दिनांक 02–02–2007 के द्वारा सूचित किया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 18–01–2007 को अपीलार्थी की उपस्थिति में संबंधित भूमि का सीमांकन किया गया तथा सीमांकन के पश्चात् 260 वर्गमीटर क्षेत्र पर श्री करणसिंह के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा पाये जाने पर उसे बेदखल किया गया एवं भूमि का कब्जा भी श्री केदारनाथ शर्मा अपीलार्थी को दिया गया। श्री केदारनाथ शर्मा को इस प्रकरण मे मुख्तयारनामा खास देने वाले

भाई गिरीराज शर्मा एवं अपीलार्थी केदारनाथ शर्मा दोनों ने लिखित में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार के तहत उक्त भूमि की जानकारी चाही थी, जो उन्हें सीमांकन के पश्चात् भूमि की सीमा की जानकारी प्राप्त हो गई है तथा कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है, अतः अब वे संतुष्ट हैं। शेष बिन्दुओं के संबंध में जानकारी पूर्व में भी स्वयं सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दे दी गई। अपीलार्थी ने कब्जा पाने के उपरांत तथा भूमि की सीमांकन संबंधी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने से संतुंष्ट होने का पत्र दिया है, अतः अब इस प्रकरण में अग्रिम कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। चूँकि जानकारी संतोषजनक रुप से अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है तथा प्रकरण में जानकारी द्वेषवश अथवा दुर्भावना से दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नही है, अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

3/ अपीलार्थी की अपील उपरोक्त निर्देशों के साथ निराकृत की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त